

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 15-12-2013-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-12-2013-सात-शा. 6 दिनांक 16 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. के. रजक, उपसचिव.

Bhopal, the 16th October 2014

No. F. 15-12-2013-VII-Sec. 6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof :—

## SCHEDULE

Tahsil : Indargardh

District : Datia

S. No.	Name of original village	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
--------	--------------------------	---

(1)	(2)	(3)
1	<b>Org. Village</b> Sunari P. H. No.38	<b>New Villages</b> 01-Sunari District Datia. 02-Mehdora P. H. No.38

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
S. K. RAJAK, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 15-25-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्र. 20, सन् 1959) की धारा 108(2) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिये कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :—

## अनुसूची

तहसील : आगर

जिला : आगर मालवा

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	01. मूल ग्राम—हड़ई 02. नवीन ग्राम—कबीर खेड़ा प.ह.नं. 013.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला आगर मालवा.

(1) (2) (3)

2.	01. मूल ग्राम—पालड़ा 02. नवीन ग्राम—खेड़ा सुल्तानपुरा 03. नवीन ग्राम—बूढ़ा डूंगर प.ह.नं. 022.	
3.	01. मूल ग्राम—फतेहपुर मेढ़की 02. नवीन ग्राम—मानाखेरी प.ह.नं. 028.	
4.	01. मूल ग्राम—बाजना 02. नवीन ग्राम—बाजना का खेड़ा प.ह.नं. 028.	
5.	01. मूल ग्राम—बरखेड़ी बडौद 02. नवीन ग्राम—बरखेड़ी खुर्द प.ह.नं. 09.	
6.	01. मूल ग्राम—खेड़ा नरेला 02. नवीन ग्राम—खेड़ा चौहान प.ह.नं. 014.	

तहसील : सुसनेर

जिला : आगर मालवा

1.	01. मूल ग्राम—सोयतखुर्द 02. नवीन ग्राम—अमानपुरा 03. नवीन ग्राम—विकपुरा प.ह.नं. 011.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला आगर मालवा.
----	--	---

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. के. रजक, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

पृ. क्र. एफ. 15-25-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-25-2013-सात-6 दिनांक 28 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. के. रजक, उपसचिव.

Bhopal, the 28th October 2014

F. No. 15-25-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 (2) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

## SCHEDULE

Tahsil : Agar

District : Agar Malwa

S. No. Name of original village Designation of the Officer authorized to prepare record of rights

- | (1) | (2)   | (3)  |
|-----|---|--|
| 1.  | 01. Org. Vill.—Hadic<br>02. New Vill.—Kabir Kheda Records (Regular),<br>P.H.No.—13.               | Superintendent of Land<br>District—Agar Malwa. |
| 2.  | 01. Org. Vill.—Palda<br>02. New Vill.—Kheda Sultanpura<br>03. New Vill.—Buda Dugar<br>P.H.No.—22. |  |
| 3.  | 01. Org. Vill.—Phatehpur Mendki<br>02. New Vill.—Manakheri<br>P.H.No.—28.                         |  |
| 4.  | 01. Org. Vill.—Bajana<br>02. New Vill.—Bajna ka kheda<br>P.H.No.—28.                              |  |
| 5.  | 01. Org. Vill.—Barkhedi Barod<br>02. New Vill.—Barkhedi Khurd<br>P.H.No.—09.                      |  |
| 6.  | 01. Org. Vill.—Kheda Narola<br>02. New Vill.—Kheda Chohan<br>P.H.No.—14.                          |  |

Tahsil : Susner

District : Agar Malwa

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | 01. Org. Vill.—Soyat Khurd<br>02. New Vill.—Amanpura<br>03. New Vill.—Bikpura<br>P.H.No.—011. | Superintendent of Land<br>Records (Regular),<br>District—Agar Malwa. |
|----|---|--|

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
S. K. RAJAK, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 15-1-2014-सात शाखा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्र. 20, सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित समामेलित राजस्व ग्राम के लिए कॉलम (3) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

## अनुसूची

तहसील : दमोह

जिला : दमोह

क्रमांक ग्राम का नाम एवं प.ह.नं. अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

- | (1) | (2)   | (3)   |
|-----|---|---|
| 1.  | कलेक्टर दमोह के प्रकरण क्रमांक 1-अ/3 वर्ष 2006-07 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2007 द्वारा पटवारी हल्का क्रमांक 19/71 का ग्राम कुलुआ उर्फ मारुताल और उसमें समामेलित ग्राम राजनगर रैयतवारी. | अधीक्षक, भू-अभिलेख, (भू-प्रबंधन) जिला दमोह. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. के. रजक, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 15-1-2014-सात शा. -6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-1-2014-सात-शा. 6 दिनांक 31 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. के. रजक, उपसचिव.

Bhopal, the 30th October 2014

No. F. 15-1-2014-VII-Sec. 6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the amalgamated revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof :—

## SCHEDULE

Tahsil : Damoh

District : Damoh

S. No. Name of original village Designation of the officer authorised to prepare record of rights

- | (1) | (2)   | (3)   |
|-----|---|---|
| 1   | <b>Amalgamated revenue village Kulua urf</b> Marutal and village Rajnagar Raiyatwari of Patwari Halka No. 19/71 vide order No. 1-A/3/2006-07 dated 5-6-2007 of the Collector. | Superintendent of Land Records, Bhu-Prabandhan) District Damoh. |

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
S. K. RAJAK, Dy. Secy.